

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय****आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 26815/2026**

रविन्द्र कुमार

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता : अभिषेक कुमार सरोज, नागेन्द्र बहादुर

सिंह, सत्य मान सिंह

विपक्षी पक्षकार के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 64**माननीय विवेक वर्मा, न्यायमूर्ति**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-विपक्षी पक्षकार की ओर से विद्वान ब्रीफ होल्डर, श्री नागेन्द्र मिश्रा को सुना। अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 285/2025, अंतर्गत धारा 3(5), 318(4), 111, 336(3), 338, 339 एवं 340(2) बी.एन.एस., थाना-कंधरापुर, जनपद-आजमगढ़ में विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं था। घटना कथित रूप से 03.09.2025 को घटित हुई, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट 13.09.2025 को दर्ज की गई। आवेदक का मेसर्स विद्या ट्रेडर्स, मेसर्स अभिराज ट्रेडिंग, मेसर्स मुनि गी ट्रांसपोर्ट कंपनी तथा मेसर्स मा अम्बे स्ट्रैप मार्ट नामक फर्मों से कोई संबंध नहीं है। आवेदक के नाम का खुलासा न तो दो वाहनों के चालक विजय कुमार और वेदवीर, जिन्हें मौके पर गिरफ्तार किया गया था किया न तो आवेदक के मोबाइल फोन की सीडीआर भी यह दर्शाती है कि आवेदक उक्त चालकों के संपर्क में नहीं था। यह भी आगे तर्क दिया गया कि कथित अपराध में आवेदक की कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संलिप्तता या भागीदारी नहीं है। आवेदक को वर्तमान मामले में केवल इसलिए आरोपी बनाया गया है क्योंकि उसे मुकदमा अपराध संख्या

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

690/2025, अंतर्गत धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) एवं 3(5) बी.एन.एस., थाना-सिविल लाइंस, जनपद-मुरादाबाद में आरोपी बनाया गया था। आगे यह तर्क दिया गया कि आवेदक ने न तो कोई दस्तावेज जाली बनाया और न ही जीएसटी की चोरी की। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि चारों फर्मों से जुड़े बैंक खाते भी आवेदक से संबंधित नहीं हैं। वर्तमान मामले के पूर्व, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। तथापि, उसकी गिरफ्तारी के बाद उसे अन्य मामलों में आरोपी बनाया गया, जिनका विवरण शपथपत्र के पैरा 50 में दिया गया है। आवेदक किसी संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य नहीं है और न ही उसने ऐसे किसी सिंडिकेट की ओर से कार्य किया है। आवेदक 29.04.2026 से जेल में है। आवेदक के आपराधिक इतिहास का वर्णन जमानत आवेदन के अनुच्छेद संख्या 50 में किया गया है और यदि, वह जमानत पर रिहा किया जाता है, वह उक्त स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किंतु अभिलेख के आधार पर उपर्युक्त दलीलों का संतोषजनक रूप से खंडन नहीं कर सके।

5. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेख का अवलोकन करने के पश्चात्, इस न्यायालय ने प्रथम दृष्टया पाया कि आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं था। विवेचना के दौरान आवेदक का नाम सामने आया। चारों फर्मों से जुड़े बैंक खाते आवेदक से संबंधित नहीं हैं। इस स्तर पर, आवेदक को कथित अपराध से जोड़ने वाला कोई पुष्टिकारी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

6. जहां तक आवेदक के आपराधिक इतिहास का प्रश्न है, यह राज्य का मामला नहीं है कि आवेदक जांच में छेड़छाड़ कर सकता है अथवा उसे किसी अन्य प्रकार से प्रभावित कर सकता है, या मुकदमे से पहले अथवा विचारण के दौरान गवाहों को धमका सकता है। राज्य ने ऐसा भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया कि आवेदक ने पूर्व में कानून की प्रक्रिया से बचने का प्रयास किया हो। इस न्यायालय की राय में, यदि आरोपी अन्यथा जमानत पाने का पात्र है, तो केवल आपराधिक इतिहास के आधार पर उसे जमानत से वंचित नहीं किया जा सकता, आपराधिक इतिहास के आधार पर जमानत न देने के लिए कोई असाधारण परिस्थिति प्रस्तुत नहीं की गई है, अतः, केवल आपराधिक इतिहास के आधार पर आवेदक को जमानत देने से इनकार करना उचित नहीं है।

7. ऐश मोहम्मद बनाम शिव राज सिंह, (2012) 9 एससीसी 446 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 30 में अभिनिर्धारित किया है: -

“हम यह शीघ्रता से जोड़ सकते हैं कि जब हम यह कहते हैं कि अभियुक्त एक हिस्ट्री-शीटर है तो इसका यह अर्थ नहीं समझा जाना चाहिए कि हिस्ट्री-शीटर कभी जमानत पाने का हकदार नहीं होता। लेकिन, जिस अपराध के संबंध में उसके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है, उसकी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए यह एक महत्वपूर्ण कारक है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

8. प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2020 (11) एससीसी 648 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि किसी आरोपी के विरुद्ध कई आपराधिक मामलों का लंबित होना अपने आप में जमानत से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता।

9. इसके अतिरिक्त, आवेदक दस महीने से अधिक समय से निरुद्ध है, विचारण के शीघ्र समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है तथा मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, मेरी राय है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का पात्र है।

10. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक- **रविन्द्र कुमार** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि के दो भारी जमानतदार (आपराधिक इतिहास के दृष्टिगत) प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए: -

- (i) विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होगा;
- (ii) अभियोजन के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;
- (iii) अभियोजन के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा;
- (iv) प्रत्येक माह के पहले रविवार को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे के बीच संबंधित थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा।

11. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष को इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्तीकरण आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

अगस्त 07, 2026

(विवेक वर्मा, न्यायमूर्ति)



Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।